

**भारत सरकार**  
**जल शक्ति मंत्रालय**  
**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग**  
**लोक सभा**  
**अतारांकित प्रश्न संख्या 3157**  
**जिसका उत्तर 04 अगस्त, 2022 को दिया जाना है।**

.....  
**कटाव-रोधी उपाय**

**3157. श्री अबु ताहेर खान:**

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पश्चिम बंगाल में मंत्रालय द्वारा किए गए कटाव-रोधी उपायों का ब्यौरा क्या है; और
- (ख) क्या मंत्रालय ने गंगा नदी में बाढ़ नियंत्रण के कोई उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री विश्वेश्वर टूडू)**

**(क) और (ख):** कटाव नियंत्रण समेत बाढ़ प्रबंधन राज्यों के कार्यक्षेत्र में आता है। बाढ़ प्रबंधन और कटावरोधी योजनाओं को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकता के अनुसार सूचित एवं कार्यन्वित किया जाता है। केंद्र सरकार गंभीर क्षेत्रों में बाढ़ के प्रबंधन हेतु तकनीकी मार्गदर्शन एवं प्रचार वित्तीय सहायता मुहैया करवाकर राज्यों के प्रयासों को पूरा करती है। एकीकृत बाढ़ प्रबंधन दृष्टिकोण का उद्देश्य संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपायों के विवेकपूर्ण मिश्रण को अपनाना है ताकि कम लागत पर बाढ़ से होने वाले नुकसान से उचित स्तर की सुरक्षा प्रदान की जा सके।

बाढ़ प्रबंधन के संरचनात्मक उपायों को मजबूत करने के लिए, मंत्रालय ने बाढ़ नियंत्रण, कटावरोधी, जल निकासी विकास, समुद्र कटावरोधी आदि से संबंधित कार्यों के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए XI और XII योजना के दौरान बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) लागू किया था, जो बाढ़ में वर्ष 2017-18 से 2020-21 की अवधि के लिए "बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम" (एफएमबीएपी) के एक घटक के रूप में जारी रहा और इसे सीमित परिव्यय के साथ सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया।

पश्चिम बंगाल से जल शक्ति मंत्रालय के एफएमपी घटक चल रही बाढ़ प्रबंधन और सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी) के तहत 18 परियोजनाओं को केन्द्रीय सहायता हेतु शामिल किया गया। पूरी की गई 16 परियोजनाओं ने 0.937 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र को सुरक्षा दी है एवं करीब 2.35 मिलियन जनसंख्या की रक्षा की है। एफएमपी के तहत पश्चिम बंगाल राज्य को 1051.96 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता राशि जारी की गई है। गंगा नदी पर फरक्का बैराज परियोजना द्वारा बैंक संरक्षण, कटावरोधी उपाय, नदी प्रशिक्षण कार्य भी अपने क्षेत्राधिकार में 12.5 किलोमीटर अपस्ट्रीम और फरक्का बैराज के 6.9 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में किए जाते हैं। पिछले दस वर्षों के दौरान फरक्का बैराज परियोजना द्वारा ऐसे कार्यों को लागू करने के लिए 165 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।

गैर संरचनात्मक उपायों के लिए, केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) नोडल संगठन है जिसे देश में बाढ़ पूर्वानुमान और प्रारंभिक बाढ़ चेतावनी कार्य सौंपा गया है। पश्चिम बंगाल राज्य में सीडब्ल्यूसी के 16 बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशन (12 स्तरीय पूर्वानुमान स्टेशन और 4 अंतर्वाह पूर्वानुमान स्टेशन) और 80 गेज स्टेशन हैं। 31 दिसंबर, 2021 को समाप्त बाढ़ मौसम के दौरान, पश्चिम बंगाल के लिए कुल 488 पूर्वानुमान जारी किए गए हैं, जिनमें 466 सटीकता सीमा के भीतर पाए गए हैं जोकि 95.49% है।

\*\*\*\*\*